मुकदमों का विवरण

मंजूनाथ एंड ओआरएस. वी.

कर्नाटक राज्य

(2011 की आपराधिक अपील सं. 866) नवंबर 06,2023

[अभय एस**.** ओका और संजय करोल**,** जेजे।**]** हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःनेत्र संबंधी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अलावा मुख्य रूप से मृत्यु घोषणा वाले मामले में, निचली अदालत ने अपीलकर्ता-अभियुक्त को अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ बरी कर दिया, चाहे उच्च न्यायालय अपीलकर्ताओं के संबंध में इसे पलटने में न्यायसंगत था।

साक्ष्य**-**मृत्यु घोषणा**-**नेत्र और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अलावा**-**वैधताः

आयोजित किया गयाःमृत्यु घोषणा, हालांकि निस्संदेह सबूत का एक ठोस टुकड़ा है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, वर्तमान तथ्यों में निरर्थक प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि इस तरह की घोषणा को हटाने वाले व्यक्ति की विचारण न्यायालय नहीं की गई थी, और न ही पुलिस अधिकारी (पीडब्लू19) ने उक्त दस्तावेज़ का समर्थन किया था कि घोषणा को किसने हटाया-लिखित रूप में कम निशुल्क ने वाले व्यक्ति की विचारण न्यायालय , मृत्यु घोषणा, आवश्यक है-विशेष रूप से, सबूत के उत्पादन के लिए आने वाले किसी भी स्पष्टीनिशुल्क ण के अभाव में-मृत्यु घोषणा की प्रकृति को देखते हुए, यह आवश्यक है कि ऐसा बयान शिक्षण, संकेत, या कल्पना का उत्पाद नहीं होना चाहिए-लेकिन यह डॉक्टर, पीडब्लू1 के बयान से निकला है, कि मृत्यु घोषणा किए जाने के समय,

व्यक्तियों और समान रूप से अपीलार्थियों के लिए, जिनके दोषमुक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था-विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था और साक्ष्य की सराहना करने और कानून के अनुप्रयोग में भी कोई त्रुटि नहीं थी; उच्च न्यायालय को कोई ठोस कारण बताए बिना ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था-आक्षेपित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-दोषमुक्ति बहाल की गई-हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के बाद से।304 भाग II 4 वर्षों के लिए था, और समर्पण से छूट के आवेदन को इस न्यायालय द्वारा 2010 में अस्वीकार कर

दिया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता पहले ही उन्हें दी गई सजा-प्रत्येक अभियुक्त द्वारा देय जुर्माना, आक्षेपित निर्णय के परिणामस्वरूप वापस किया जाए-जमानत बांड निर्वहन-दंड संहिता, 1860-एस. एस.143, 144, 146, 147, 148, 304 भाग II,324,326,447,504 और 506 आर/डब्ल्यू एस।149.[पारस 11.10,20,29.1-29.3,30,31]

साक्ष्य-नेत्र संबंधी प्रमाणः

आयोजित किया गयाःनेत्र साक्ष्य अन्य प्रकार के साक्ष्य की तुलना में बेहतर होता है और इसे एक मजबूत प्रकृति का प्रमाण माना जाता है-सिद्धांत यह है कि यदि चश्मदीद गवाह की गवाही "पूरी तरह से विश्वसनीय" है, तो न्यायालय उस पर दोषसिद्धि का आधार बना सकती है-यह उन मामलों में भी लागू होता है जहां एकमात्र चश्मदीद गवाह है-वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही अविश्वसनीय, विश्वास के योग्य नहीं पाई जाती है-गवाही आवश्यक भौतिक तथ्यों पर भिन्न होती है, जैसे कि व्यक्तियों की संख्या, कैसे आरोपी ने कहा कि उसने कहाँ किया, जब पता चला आदि-इनमें से कोई भी गवाह, चश्मदीद गवाह, जैसा कि वे हो सकते हैं, उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए, अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध-अभियुक्तों की संख्या के संबंध में गवाही में विरोधाभास है।[पैरा 12,21.8,21.12,22]

साक्ष्य-मृत्यु घोषणा-संबंधित सिद्धांत-चर्चा की गई।साक्ष्य अधिनियम**, 1872 -**एस**. 27:**

आयोजित किया गयाःएस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई खोज। 27, एक तथ्य होना चाहिए जो प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप खोजा गया है 729

मंजूनाथ एंड ओआरएस. वी.कर्नाटक राज्य

अभिरक्षा में किसी व्यक्ति से-वर्तमान मामले में, विचारण विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि की गई खोज या तो किसी सार्वजनिक स्थान से या उस क्षेत्र से की गई थी जहां अन्य व्यक्ति भी रहते थे, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था-विचारण विचारण न्यायालय का यह दृष्टिकोण सही है।[पैरा 26,27]

दंड प्रक्रिया संहिता**, 1973 -s.378:**

आयोजित किया गयाःवर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता की पूरी तरह से सराहना नहीं की-एक अपील न्यायालय को बरी होने के अपने निर्णय को पलटने में सावधानी बरतनी चाहिए-एक बरी होने के निर्णय को केवल बहुत ही सम्मोहक कारणों की उपस्थिति में पलट दिया जाएगा-यदि निचली विचारण न्यायालय बरी होने का फैसला देती है तो आरोपी के पक्ष में निर्दोष होने की धारणा को बल मिलता है।[पैरा 32]

नगरों और अन्य संदर्भों की सूची

लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य (2002) 6 एस. सी. सी. 710-इसके बाद।शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस. सी. सी. 116:

[1985] 1 एस. सी. आर. 88-पर निर्भर।खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 22:1[958] एससीआर 552;

सुरेश चंद्र जना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2017) 16 एस. सी. सी. 466:[2017] 13 एस. सी. आर. 1; जयम्मा बनाम कर्नाटक राज्य (2021) 6 एस. सी. सी. 212; मदन बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2019) 13 एस. सी. सी. 464:[2018] 4 एस. सी. आर. 1003; राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य (1998) 4 एस. सी. सी. 517:[1998] 2 एससीआर 1097; पन्नीरसेल्वम बनाम टी. एन. राज्य (2008) 17 एससीसी 190:[2008] 8 एस. सी. आर. 962; पानीबेन बनाम गुजरात राज्य (1992) 2 एस. सी. सी. 474:[1992] 2 एससीआर 197; के. रामचंद्र रेड्डी बनाम लोक अभियोजक (1976) 3 एससीसी 618:[1976] पूरक।एस. सी. आर. 542; शमा बनाम हरियाणा राज्य (2017) 11 एस. सी. सी. 535:[2016] 11 एस. सी. आर. 857; उत्तम बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2022) 8 एस. सी. सी. 576; शेर सिंह और अन्र बनामपंजाब राज्य

(2008) 4 एससीसी 265:[2008] 2 एस. सी. आर. 959; सुरेंद्र बंगाली @सुरेंद्र सिंह रूटेले बनाम झारखंड राज्य आपराधिक अपील सं. 2010 का 1078; अमोल सिंह बनाम एमपी राज्य (2008) 5 एससीसी 468:[2008] 8 एस. सी. आर. 956; लखन बनाम एम. पी. राज्य (2010) 8 एस. सी. सी. 514:[2010] 9 एस. सी. आर. 705; जगबीर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2019) 8 एस. सी. सी. 779:[2019] 11 एस. सी. आर. 1137; राजाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1733; सूरजदेव ओझा बनाम राज्य

बिहार 1980 पूरक एस. सी. सी. 769; महाराष्ट्र राज्य बनाम कृष्णमूर्ति लक्ष्मीपति 730 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

नायडू 1980 पूरक एस. सी. सी. 455; गोविंद नारायण बनाम राजस्थान राज्य 1993 पूरक

(3) एस. सी. सी. 343; कंस राज बनाम पंजाब राज्य (2000) 5 एस. सी. सी. 207:[2000] 3 एससीआर 662; सुधाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2000) 6 एससीसी 671:[2000] 1 पूरक। एस. सी. आर. 507; Irfan@Naka बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1060; अनिल फूकन बनाम असम राज्य (1993) 3 एससीसी 282:[1993] 2 एस. सी. आर. 389; कमल बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 933; गार्गी बनाम हरियाणा राज्य (2019) 9 एस. सी. सी. 738:[2019] 13 एस. सी. आर. 1; इंद्रजीत दास बनाम त्रिपुरा राज्य 2023

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 201; प्रकाश निषाद बनाम महाराष्ट्र राज्य 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 666; राय संदीप @दीपू उर्फ दीपू बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली);

(2012) 8 एससीसी 21:[2012] 6 एससीआर 1153; गणेशन बनाम राज्य (2020) 10 एससीसी 573:

[2020] 8 एससीआर 768; नरेश @नेहरू बनाम हरियाणा राज्य आपराधिक अपील No.1786 2023 का; मोहम्मद।इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य (1976) 1

एससीसी 828:[1976] 1 एससीआर 715; जयकम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) 13 एससीसी

716; निखिल चंद्र मंडल बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य (2023) 6 एस. सी. सी. 605; तुलसीराम कानू बनाम राज्य आकाशवाणी 1954 एससी 1; घुरेलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 10 एस. सी. सी.

450:[2008] 11 एस. सी. आर. 499-संदर्भित।

पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट ए. आई. आर. 1939 पी. सी. 47; पुलुकुरी

कोटय्या बनाम राजा सम्राट 1946 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 47; शीओ स्वरूप बनाम राजा सम्राट ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227 (2)-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2011 की आपराधिक अपील No.866।

2004 के सी. आर. एल. ए. No.1795 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 21.09.2010 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

अमित सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री बीना माधवन, एस. उदय कुमार सागर, लक्ष्य सैनी, नारायण कुमार रेलंगी, दर्पण सचदेवा, विनय त्रिपाठी, विनम्रा कोपरिहा, अंशुल एल., मनोज एस. एन., मेसर्स लॉयर एस. निट एंड कंपनी, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

वी. एन. रघुपति, मनेन्द्र पाल गुप्ता, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

731

मंजूनाथ एंड ओआरएस. वी.कर्नाटक राज्य

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

संजय करोल, जे।

1. अपीलकर्ता 1 (संख्या में छह) अनुज्ञात 2004 की आपराधिक अपील में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित 21 सितंबर 2010 के निर्णय और आदेश के खिलाफ इस अपील का अनुज्ञात तृत्व किया है, जिसमें सभी 29 अभियुक्तों के पक्ष में बरी होअनुज्ञात के निर्णय के खिलाफ राज्य के अनुज्ञात तृत्व में अपील दायर की गई थी।ए-1 से ए-5 और ए-7 के संबंध में इसे पलटते हुए, न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 143,144,146,147,148,447,324,326,504 और 506 आर/डब्ल्यू धारा 149 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराते हुए उनमें से प्रत्येक को 4 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक को 5000 रुपये का जुर्माना दिया।

वास्तविक प्रिज्म

2. नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा निर्धारित तथ्यों में अनावश्यक विवरण शामिल हैं:-

2.1 6 अगस्त 1997 को मृतक बीरेगौड़ा 2 और उनके भाई, टी. वी. नारायणस्वामी (पीडब्लू 4), टी. वी. गोपालरेड्डी (पीडब्लू 5), टी. वी. राजन्ना (पीडब्लू 10) और मारप्पा (पीडब्लू 2) काम करने के लिए जेल गए थे, जब कथित तौर पर, सभी आरोपी क्लब, लोहे की छड़ और हेलीकॉप्टर जैसे हथियारों से लैस आए और उन्हें धमकी दी।पीडब्लू2, पीडब्लू4, पीडब्लू5 और पीडब्लू10 भागने में कामयाब रहे लेकिन जब मृतक ऐसा करने का प्रयास कर रहा था, तो ए 1, ए 2 और ए 3 ने लोहे की छड़ और एक स्टील की धार वाले हथियार (हेलीकॉप्टर) के माध्यम से उस पर हमला किया।डॉ. लोगनायकी (पीडब्लू1) द्वारा सिदलाघट्टा जनरल अस्पताल में मृतक को तत्काल चिकित्सा उपचार दिया गया, जिन्होंने पुलिस को भी सूचित किया।वी. एम.

1 मंजुनाथ (एस/ओ बचन्ना) ए-1; रामगौड़ा (एस/ओ बचन्ना) ए-2; रामप्पा (एस/ओ नारायणप्पा) ए-3; रमेश (एस/ओ चिक्का वेंकटरायप्पा) ए-4; मंजूनाथ (एस/ओ रामप्पा) ए-5; दयावप्पा (एस/ओ नारायणप्पा) ए-7।

2 इसके बाद, मृतक 732

/

[2023] 14 एस सी आर।

पुलिस के तत्कालीन उप-निरीक्षक सोन्नाप्पा (पीडब्लू19) ने उनका बयान लिया। पी1) और इसके परिणामस्वरूप, कई दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत अपराध संख्या 249/1997 दिनांक 08.08.1997 के रूप में एफ. आई. आर. दर्ज की गई।2.2 उचित जाँच के बाद, चालान का नेतृत्व किया गया और मामला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट-II, कोलार की न्यायालय को सौंप दिया गया।सभी अभियुक्तों ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 149 के साथ पठित धारा 120 बी, 143,447,302 के अंतर्गत आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का दावा किया।अभियुक्त Nos.6 और 8 की मृत्यु दर्ज की गई है और इसलिए, उनके खिलाफ कार्यवाही इस स्तर पर समाप्त हो गई।

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष

3. लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 28 गवाहों से पूछताछ की; 24 दस्तावेजों और तीन भौतिक वस्तुओं का प्रदर्शन किया।अभियुक्त ने पी. डब्ल्यू. 4, गोपाल रेड्डी (पी. डब्ल्यू. 5), चंद्रप्पा (पी. डब्ल्यू. 15), टी. वी. कृष्णप्पा (पी. डब्ल्यू. 17) और टी. एस. रामकृष्ण (पी. डब्ल्यू. 13) के कथन का खंडन करने के लिए अपने गवाहों को पेश करने के अलावा कोई सबूत पेश नहीं किया।4. साक्ष्य को मुख्य तथ्यों में वर्गीकृत किया गया था-(ए) नेत्र संबंधी; (बी) मृत्यु की घोषणा; (सी) परिस्थितिजन्य साक्ष्य; (डी) आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी; और (ई) उद्देश्य।

4.1 पीडब्लू2, पीडब्लू3 और पीडब्लू15 प्रत्यक्षदर्शी हैं और पीडब्लू2 और पीडब्लू15 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।पीडब्लू2 ने अपदस्थ किया है कि उसने मृतक के परिवार के सदस्यों से सुना था कि उसे कई चोटें आई हैं और वहां पहुंचने पर उसने पाया कि वह अपनी जमीन से थोड़ा दूर पड़ा हुआ था और बाद में पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई थी।पीडब्लू3 ने अपदस्थ किया है कि उसने अभियुक्त व्यक्तियों को मृतक पर हमला करते देखा था, और उन्होंने ही मृतक को, इस तरह के हमले के बाद, पीडब्लू11 के अंतिम छोर पर नीलगिरी के पत्तों पर रखा था।पीडब्लू15 ने कहा कि उसने मृतक को नीलगिरी बागान के दक्षिणी हिस्से में पड़ा देखा जहां पीडब्लू2, पीडब्लू4 और पीडब्लू5 भी मौजूद थे। पीडब्लू15 ने बयान दिया है कि उसने आरोपी व्यक्तियों को हथियारों से लैस और बगीचे की ओर बढ़ते देखा है।उन्होंने उनका पीछा किया और पाया कि आरोपी ने मृतक का पीछा किया और उस पर हमला किया।पी. डब्ल्यू. 3 के बयान के अनुसार, क्या आरोपी ने मृतक को पी. डब्ल्यू. 11-राघव के नीलगिरी क्षेत्र में रखा था या पी. डब्ल्यू. 15 ने ऐसा किया था।उस प्रभाव के लिए किसी अन्य गवाह ने गवाही नहीं दी है।

इसलिए, विचारण विचारण न्यायालय ने नेत्र संबंधी साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया।4.2 मृत्यु घोषणा के संबंध में, यह देखा गया कि साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पीडब्लू19 ने घोषणा दर्ज नहीं की है।इस गवाह की जिरह से यह पता चला है कि यह उनके कर्मचारियों में से एक नटराज थे, जिन्होंने बयान दर्ज किया था, जिन्हें न तो गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था और न ही उनसे पूछताछ की गई थी।इसके अलावा, इस प्रतिनिधि ने इस तरह के बयान का समर्थन भी नहीं किया है।

4.3 प्रस्तुत किए गए चिकित्सा साक्ष्य के संबंध में, यह देखा गया कि पीडब्लू1 ने यह स्वीकार नहीं किया कि किसने चोटों का इतिहास प्रस्तुत किया-चाहे वह स्वयं घायल हुआ हो या कोई अन्य व्यक्ति जो उसे अस्पताल लाया था।यह, पीडब्लू1 के पहले के बयान के साथ पढ़ा गया कि घायल/मृतक के साथ कई व्यक्ति मौजूद थे, जिससे विचारण न्यायालय को यह विश्वास

हुआ कि सिर में गंभीर चोट के कारण वह बयान देने की स्थिति में नहीं था और यह अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने इसे बनाने के लिए आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए थे।

4.4 परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में, यह देखा गया कि पी. डब्ल्यू. 2 ने 6 अगस्त 1997 की सुबह एफ. आई. एल. डी. के पास आने वाली भीड़ से संबंधित परिस्थितियों में किसी भी आरोपी को शामिल नहीं किया है।पीडब्लू15 ने पदच्युत कर दिया था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि मृतक को घायल अवस्था में नीलगिरी के पत्तों पर रखा गया था। हालाँकि यह उसका मामला नहीं था कि मृतक ने उसे इस बारे में सूचित किया था कि उसे किससे चोट लगी थी।इसने विचारण न्यायालय को पीडब्लू 4,5,6 और 7 के साक्ष्य में "झूठ" का अवलोकन करने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने कहा कि मृतक ने बताया था कि आरोपी ने उस पर हमला किया था।

4.4.1 पीडब्लू3 और पीडब्लू13 के लिए, यह देखा गया कि उनका आचरण एक "साधारण विवेकपूर्ण व्यक्ति" के आचरण को प्रतिबिंबित नहीं करता था क्योंकि पीडब्लू3 गाँव या मृतक के बचाव के लिए नहीं गया था, बल्कि इसके बजाय, ग्रामीणों को एक छिपने की जगह पर आमंत्रित करने के लिए; और पत्र के बाद से उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आरोपी व्यक्तियों को मृतक और उसके भाइयों की जान लेने का प्रयास करते हुए सुना था और आगे दावा किया कि बाद में उन्होंने व्यक्तियों को यह कहते हुए सुना कि उनमें से एक को पकड़ लिया गया था, जबकि अन्य भाग गए थे।यह सुनने के बावजूद वह विजयपुरा में किसी की शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो गए।यह, न्यायालय ने एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के खिलाफ एक आचरण पाया, जो एक साथी व्यक्ति को मारने की साजिश की सुनवाई के बावजूद सामान्य रूप से आगे बढ़ा।

4.4.2 यह उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में है कि विचारण विचारण न्यायालय ने परिस्थितियों के जाल को अभियुक्त के अपराध के लिए "अपरिवर्तनीय, ठोस और सकारात्मक रूप से" इंगित करने में असमर्थ माना।

4.5 हथियारों की बरामदगी पर, न्यायालय ने कहा कि हालांकि आरोपी व्यक्तियों के कहने पर हथियार बरामद किए गए थे-ए 10, ए 3, ए 5, ए 6 और ए 7 के कहने पर डंडे; ए 1 और ए 2 के कहने पर लोहे की छड़ और ए 4 के कहने पर हेलीकॉप्टर, लेकिन इस आधार पर जब्ती की सत्यता पर संदेह किया कि डंडे आम पहुंच के स्थान से बरामद किए गए थे और हेलीकॉप्टर के साथ-साथ छड़ें भी उन स्थानों से बरामद की गई थीं जहां अन्य लोग भी रहते थे।इसके अलावा, यह देखा गया कि जब्त किए गए क्लब (एम. ओ. 3) 4 फीट लंबे और 3 इंच व्यास के थे, जो घर्षण, संदूषण और घाव का कारण बन सकते हैं।हालांकि, पीडब्लू1 के चिकित्सा साक्ष्य में ऐसी कोई चोट दर्ज नहीं की गई है।इसलिए, न्यायालय ने निष्कर्ष

निकाला कि दोषारोपण करने वाली वस्तुएँ या हथियार अभियुक्त के खिलाफ मामले में किसी भी सहायता के नहीं थे।4.6 उद्देश्य पर, यह देखा गया कि हालांकि 4 अगस्त, 1997 की रात को पीडब्लू 4 और ए 1, ए 2, ए 4, ए 7, ए 8, ए 9, ए 11 और ए 12 के बीच एक मार्ग के अवरोध के संबंध में विवाद हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप शामिल व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन चलाया गया था, लेकिन केवल उन्हें बरी कर दिया गया था। इसलिए, न्यायालय की दृष्टि में, उद्देश्य अनुपस्थित था।4.7 अभियोजन पक्ष की ओर से दो अन्य पहलुओं का भी आग्रह किया गया था, एक; घटना के स्थान के बारे में और दो; नेत्र और परिस्थितिजन्य गवाहों के बयान दर्ज करने में देरी।इन दोनों आधारों पर भी, न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध की ओर इशारा करने के लिए कुछ भी नहीं किया।

4.8 इस तरह की घटनाओं को देखते हुए न्यायालय ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया।5. सामूहिक रूप से बरी किए जाने से व्यथित राज्य ने उच्च न्यायालय में अपील की।

उच्च न्यायालय के परिणाम

6. यह ध्यान दिया गया कि मृतक ने विशिष्ट रूप से कुछ अभियुक्तों के रूप में नामित किया था और उन्हें विशिष्ट भूमिकाओं के लिए भी जिम्मेदार ठहराया था।अभिलेख पर साक्ष्य और अभियुक्त के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए, जिन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मृतक को बयान देने के लिए प्रमाणित नहीं किया था और इस तरह के प्रमाण पत्र के अभाव में, उनकी घोषणा 735

मंजूनाथ एंड ओआरएस. वी.कर्नाटक राज्य [संजय करोल, जे.]

उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था; और राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मृत्यु घोषणा स्पष्ट रूप से ए 1-ए 7 का संकेत देती है।

7. न्यायालय ने पाया किः-

7.1 मृत्यु घोषणा ए 1 से ए 7 के खिलाफ एक स्पष्ट मामला बनाती है; 7 मृतक को लगी चोटें पीडब्लू19 (एस. नारायणस्वामी) को घटना के वर्णन के अनुरूप हैं और पीडब्लू1 (डॉ. लोगनायगी) ने मृतक को बयान देने के लिए प्रमाणित किया कि वह एक निश्चित स्थिति में था।

7.3 मृतक की मृत्यु घोषणा की पुष्टि पीडब्लू3, पीडब्लू4, पीडब्लू5 के साथ-साथ अन्य गवाहों ने की।

7.4 अभियुक्त के विद्वत वकील के यह कहने पर कि मृतक पर लगी चोटें शरीर के गैर-महत्वपूर्ण हिस्सों पर थीं, अभियुक्त की ओर से कोई इरादा नहीं निकाला जा सका; इसलिए न्यायालय ने अपने विवेक से, उपरोक्त निर्दिष्ट अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग II के अंतर्गत चार साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा देने

और 5 लाख रुपये का भुगतान करने का दोषी ठहराया। 5000/- प्रत्येक।अन्य सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।

8. अभियुक्त व्यक्तियों की स्थिति जैसा कि वर्तमान अंतर्गत है, सारणीबद्ध रूप अंतर्गत निम्नानुसार दर्शाई गई हैः

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	बी. वाई. टी. आर. आई. ए. एल न्यायालय ने सजा सुनाई	हाईन्यायालय ने सुनाई सजा	सजा दी गई।
1	मंजूनाथ एस/ओ बचन्ना	बरी कर दिया।	भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराया गया	4 वर्ष आर. आई. और रु. 5000/-
/	रामगौड़ा एस/ओ बचन्ना	बरी कर दिया।	भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराया गया	4 वर्ष आर. आई. और रु. 5000/-
3	रामप्पा एस/ओ नारायणप्पा	बरी कर दिया।	भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराया गया	4 वर्ष आर. आई. और रु. 5000/-
/	रमेश एस/ओ चिक्का वेंकटरायप्पा	बरी कर दिया।	भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराया गया	4 वर्ष आर. आई. और रु. 5000/-
/	मंजुनाथ एस/ओ रामप्पा	बरी कर दिया।	भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी ठहराया गया	4 वर्ष आर. आई. और रु. 5000/-

/	रामंजनप्पा पुत्र मुनिस्वमप्पा (मृत)	समाप्त हो चुका है।	-	
7	दयावप्पा एस/ओ नारायणप्पा	बरी कर दिया।	भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग 2 के तहत दोषी	4 वर्ष आर. आई. और रु. 5000/-

			ठहराया गया	
।	दयावप्पा एस/ओ चिक्का मिनिस्वामप्पा (निरस्त)	बंद कर दिया।	-	
/	वेणुगोपाल एस/ओ पिल्लप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
10	चौडा रेड्डी एस/ओ नारायणप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
/	जयचंद्र एस/ओ बचप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
/	नारायण स्वामी @Beema एस/ओ मुनेगौड़ा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
/	बाचेगौड़ा, एस/ओ पिल्लप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
/	नारायण स्वामी एस/ओ पिल्लप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
	15. कृष्णप्पा एस/ओ गुट्टप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
/	मुने गौड़ा एस/ओ वेंकटरायप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
17	अस्वथ एस/ओ गेटप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
/	अस्वथप्पा एस/ओ नानजेगौड़ा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
19	मूर्ति एस/ओ वेंकटप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
/	रमेश एस/ओ मुनी गौड़ा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
21	रमेश एस/ओ ब्याम्मा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
/	नागराज एस/ओ नारायणप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	

23	दयप्पा एस/ओ पिल्लप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	

/	नारायणस्वामी एस/ओ बचप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
/	रामप्पा एस/ओ चेन्नारायप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
26	मंजूनाथ एस/ओ नारायणप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
-	सोन्ने गौड़ा पुत्र चेन्नरायप्पा	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
28	महेश एस/ओ जयचंद्र	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	
29	लोकेश एस/ओ बच्चन	बरी कर दिया।	बरी कर दिया।	

9. आगे बढ़ते हुए, हम देखते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें मुख्य रूप से नेत्र संबंधी और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अलावा अभियुक्त द्वारा की गई मृत्यु घोषणा शामिल है।

10. वास्तव में, मृत्यु घोषणा (एक्स. पी1) जो पीडब्लू19 द्वारा सिद्ध किया गया है, अभियोजन मामले का मुख्य आधार है।इस तरह के मामले में निर्णय लेते समय अदालतों को जिन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, उनकी सराहना करना फायदेमंद होगा।

मरने की घोषणाओं के संबंध में सिद्धांत

11.भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रासंगिक तथ्य के लिखित या मौखिक बयानों से संबंधित है जो मर चुका है या जिसे दूसरे शब्दों में, मृत्यु घोषणा में नहीं पाया जा सकता है।मृत्यु घोषणाओं के संबंध में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा निर्धारित विभिन्न सिद्धांतों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः–

11.1 इसका मूल आधार "निमो मोरिटुरस प्रेसुमिटुर मेंटायर" है।

मनुष्य अपने निर्माता से उसके मुँह में झूठ के साथ नहीं मिलेगा।

11.1.1 लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य **4** में एक संविधान पीठ

इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः–

3 संक्षिप्तता के लिए, "आई. ई. ए".

4 (2002) 6 एस. सी. सी. 710 [5 न्यायाधीश पीठ] 738

"जब दल मृत्यु के बिंदु पर होता है और जब इस दुनिया की हर आशा समाप्त हो जाती है, जब झूठ का हर मकसद चुप हो जाता है, और आदमी को केवल सच बोलने के लिए सबसे

शक्तिशाली विचार से प्रेरित किया जाता है, जिस स्थिति में एक आदमी मृत्युशय्या पर होता है वह इतनी गंभीर और शांत होती है, विधि में उसके बयान की सच्चाई को स्वीकार करने का कारण है। "

11.2 आई. ई. ए. की धारा 32 के अंतर्गत स्वीकार्य होने के लिए किसी बयान को "मृत्यु घोषणा" कहने के लिए, उसमें चर्चा की गई/प्रकट की गई परिस्थितियों का "वास्तविक घटना के साथ कुछ निकट संबंध होना चाहिए"।

11.3 पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट **5** में प्रिवी काउंसिल

"लेन-देन की परिस्थितियों" वाक्यांश को निम्नानुसार समझायाः- "लेन-देन की परिस्थितियाँ निम्नलिखित होनी चाहिएःभय या संदेह का संकेत देने वाली सामान्य अभिव्यक्तियाँ, चाहे वे किसी विशेष व्यक्ति की हों या अन्यथा और जो मृत्यु के अवसर से सीधे संबंधित नहीं हैं, स्वीकार्य नहीं होंगी।लेकिन मृतक द्वारा दिए गए बयान कि वह उस स्थान पर जा रहा था जहाँ वह वास्तव में मारा गया था, या इस तरह की कार्यवाही के अपने कारणों के बारे में, या कि वह किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहा था, या कि उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा उससे मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था, उनमें से प्रत्येक लेनदेन की परिस्थितियाँ होंगी, और ऐसा होगा कि क्या व्यक्ति अज्ञात था, या आरोपी व्यक्ति नहीं था।इस तरह का बयान वास्तव में अभियुक्त व्यक्ति के लिए दंडात्मक हो सकता है।'लेन-देन की परिस्थितियाँ एक ऐसा वाक्यांश है जो निस्संदेह कुछ सीमाओं को व्यक्त करता है।यह 'परिस्थितिजन्य साक्ष्य' में समान उपयोग जितना व्यापक नहीं है जिसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों का प्रमाण शामिल है। दूसरी ओर यह 'रेस गेस्टे' की तुलना में संकीर्ण है।परिस्थितियों का वास्तविक घटना से कुछ निकट संबंध होना चाहिएःहालाँकि, उदाहरण के लिए, लंबे समय तक विषाक्तता के मामले में वे वास्तविक घातक खुराक की तारीख से काफी दूरी पर खजूर से संबंधित हो सकते हैं। यह देखा जाएगा कि 'परिस्थितियाँ' उस लेन-देन की हैं जिसके परिणामस्वरूप घोषणाकर्ता की मृत्यु हो गई।यह आवश्यक नहीं है कि घोषणा करने वाले की मृत्यु के अलावा कोई ज्ञात लेनदेन होना चाहिए।

5 ए. आई. आर. 1939 पी. सी. 47 [5 न्यायाधीश पीठ] 739

मंजूनाथ एंड ओआरएस. वी.कर्नाटक राज्य [संजय करोल, जे.]

अंततः ऐसा किया गया है, क्योंकि साक्ष्य की स्वीकार्यता की शर्त यह है कि '(घोषणाकर्ता की) मृत्यु का कारण सवाल में आता है'। "

11.3.1 शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध मामले में, धारा 32 के अनुप्रयोग के संबंध में 6 सिद्धांतों को निम्नानुसार नोट किया गया हैः–

एस. मुर्तजा फजल अली जे. के अनुसार-"21.

(1) धारा 32 सुनी-सुनाई बातों के नियम के लिए एक अपवाद है और मरने वाले व्यक्ति के बयान को स्वीकार्य बनाती है, चाहे मृत्यु हत्या हो या आत्महत्या, बशर्ते कि बयान मृत्यु के कारण से संबंधित हो, या मृत्यु की परिस्थितियों को दर्शाता हो।इस संबंध में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने हमारे समाज की विशिष्ट स्थितियों और हमारे लोगों की विविध प्रकृति और चरित्र को देखते हुए, अन्याय से बचने के लिए धारा 32 के दायरे को व्यापक बनाना आवश्यक समझा है।

(2) निकटता के परीक्षण को बहुत शाब्दिक रूप से समझा नहीं जा सकता है और व्यावहारिक रूप से सार्वभौमिक अनुप्रयोग के एक कट-एंड-ड्राई सूत्र तक कम नहीं किया जा सकता है ताकि इसे एक जलडमरूमध्य में रखा जा सके।समय की दूरी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी या अलग-अलग होगी।उदाहरण के लिए, जहां मृत्यु एक लंबे समय से चल रहे निरंतर नाटक की तार्किक परिणति है और जैसा कि यह कहानी का एक अंतिम अंश है, नाटक के अंत से सीधे जुड़े प्रत्येक कदम के बारे में बयान स्वीकार्य होगा क्योंकि पूरे कथन को एक जैविक समग्र के रूप में पढ़ना होगा और संदर्भ से फाड़ना नहीं होगा।कभी-कभी तत्काल उद्देश्य से संबंधित या प्रस्तुत करने वाले बयान भी मृत्यु के लेन-देन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार्य हो सकते हैं।यह स्पष्ट है कि ये सभी कथन मृत्यु से बोलने वाले मृतक की मृत्यु के बाद ही सामने आते हैं।उदाहरण के लिए, जहां विवाह के बहुत कम समय के भीतर मृत्यु हो जाती है या समय की दूरी 3 से 4 महीने से अधिक नहीं होती है, तो बयान धारा 32 के अंतर्गत स्वीकार्य हो सकता है।

6 (1984) 4 एस. सी. सी. 116 [3 न्यायाधीश पीठ] 740

/

[2023] 14 एस सी आर।

(3) धारा 32 के खंड (1) का दूसरा भाग इस नियम का एक और अपवाद है कि आपराधिक विधि में किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य, जिसे अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा के अधीन नहीं किया जा रहा था या प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं दिया जा रहा था, मूल्यहीन होगा क्योंकि प्रतिपरीक्षा का स्थान शपथ की गंभीरता और पवित्रता द्वारा इस सरल कारण से लिया जाता है कि मृत्यु के कगार पर किसी व्यक्ति के गलत बयान देने की संभावना नहीं है, जब तक कि यह दिखाने के लिए मजबूत सबूत न हो कि बयान को उकसाने या पढ़ाने से सुरक्षित किया गया था।

(4) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो सकता है कि धारा 32 अकेले हत्या की बात नहीं करती है, बल्कि इसमें आत्महत्या भी शामिल है, इसलिए सभी परिस्थितियाँ जो हत्या के मामले को साबित करने के लिए प्रासंगिक हो सकती हैं, आत्महत्या के मामले को साबित करने के लिए समान रूप से प्रासंगिक होंगी।

(5) जहां मुख्य साक्ष्य में मृतक द्वारा लिखे गए बयान और पत्र शामिल हैं जो सीधे तौर पर उसकी मृत्यु से जुड़े हैं या उससे संबंधित हैं और जो एक कहानी की कहानी को प्रकट करते हैं, उक्त बयान स्पष्ट रूप से धारा 32 के चार कोनों के भीतर आएगा और इसलिए, स्वीकार्य होगा।ऐसे मामलों में अकेले समय की दूरी बयान को अप्रासंगिक नहीं बनाएगी। "

11.4 कई निर्णयों ने माना है कि बशर्ते एक मृत्यु घोषणा न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करती है, यह बिना पुष्टि के भी, दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बना सकती है।इस संबंध में, संदर्भ दिया जा सकता है -

खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य **7,** सुरेश चंद्र जाना बनाम पश्चिम बंगाल राज्य **8** और जयम्मा बनाम कर्नाटक राज्य **9**।

11.5 इस तरह के बयान पर भरोसा करने के लिए, इसे न्यायालय के विश्वास को पूरी तरह से संतुष्ट करना होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ऐसा बयान दिया है वह अब जिरह या स्पष्टीकरण या ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए उपलब्ध नहीं है।

11.5.1 मदन बनाम महाराष्ट्र राज्य 10 में, राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य 11 में एक पूर्व निर्णय का उल्लेख करते हुए

7 ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 22 [3 जज बेंच] 8 (2017) 16 एस. सी. सी. 466 [2 जज बेंच] 9 (2021) 6 एस. सी. सी. 212 [3 जज बेंच] 10 (2019) 13 एस. सी. सी. 464 [2 जज बेंच] 11 (1998) 4 एस. सी. सी. 517 [2 जज बेंच] 741

मंजूनाथ एंड ओआरएस. वी.कर्नाटक राज्य [संजय करोल, जे.]

यह देखा गया कि एक न्यायालय को मृत्यु घोषणा पर भरोसा करना चाहिए यदि यह न्यायालय के मन में विश्वास को प्रेरित करता है।

11.5.2 इसी तरह, पन्नीरसेल्वम बनाम टी. एन. 12 राज्य मामले में इस न्यायालय ने कहा है:–

"यद्यपि मृत्युपूर्व घोषणा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि अभियुक्त के पास प्रतिपरीक्षा का कोई अधिकार नहीं है।सत्य को उजागर करने के लिए ऐसी शक्ति आवश्यक है क्योंकि शपथ का दायित्व हो सकता है।यही कारण है कि न्यायालय इस बात पर भी जोर देती है कि मृत्यु घोषणा ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए जिससे न्यायालय को अपनी शुद्धता पर पूरा विश्वास हो। "

11.5.3 हालांकि, सावधानी का एक नोट भी जारी किया गया है।यदि ऐसी घोषणा न्यायालय के मन में विश्वास को प्रेरित नहीं करती है, अर्थात, इसकी शुद्धता और वास्तविकता के बारे में संदेह मौजूद हैं, तो पुष्टि करने वाले साक्ष्य के अभाव में इस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

11.5 .3.1 पानीबेन बनाम गुजरात राज्य **13** में यह देखा गया था **-**

"न्यायालय को इस बात से सावधान रहना होगा कि मृतक का बयान या तो पढ़ाने, उकसाने या कल्पना के परिणाम के रूप में नहीं था। "

के. रामचंद्र का भी उल्लेख किया जा सकता है।

रेड्डी बनाम लोक अभियोजक **14**

11.6 न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि इस तरह का बयान देते समय मृतक "मानसिक स्थिति" में था।शमा बनाम हरियाणा राज्य के मामले में, न्यायालय की संतुष्टि के लिए, घटना के संबंध में उस समय की स्थिति और स्थिति को याद करने की क्षमता के साथ-साथ मन की स्थिति को एक पूर्व शर्त माना गया है।

11.6.1 उत्तम बनाम महाराष्ट्र राज्य **16** में इस पर चर्चा की गई थी।

कि यह न्यायालय को निर्धारित करना है, उपलब्ध साक्ष्य से

12 (2008) 17 एस. सी. सी. 190 [3 न्यायाधीश पीठ] 13 (1992) 2 एस. सी. सी. 474 [2 न्यायाधीश पीठ] 14 (1976) 3 एस. सी. सी. 618 [2 न्यायाधीश पीठ] 15 (2017) 11 एस. सी. सी. 535 [2 न्यायाधीश पीठ] 16 (2022) 8 एस. सी. सी. 576 [2 न्यायाधीश पीठ] 742

/

[2023] 14 एस सी आर।

अभिलेख पर, मन की स्थिति ठीक है या नहीं।

11.6.2 मृत्यु की घोषणा करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए, न्यायालय आमतौर पर चिकित्सा साक्ष्य पर निर्भर करती है।17 हालाँकि, समान रूप से, यह माना गया है कि यदि बयान देते समय गवाह उपस्थित होते हैं, तो यह कहते हैं कि बयान देते समय मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो ऐसा बयान चिकित्सा साक्ष्य पर हावी होगा।18 डॉक्टर की राय पर प्रचलित गवाहों के बयान को उत्तम (उपरोक्त) में दोहराया गया है।

11.6.3 हालाँकि, लक्ष्मण (ऊपर) में यह भी माना गया है कि मरने वाले घोषणाकर्ता की "मन की वास्तविक स्थिति" के संबंध में डॉक्टर के प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति, वास्तव में ऐसी घोषणा को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी।यह स्थिति एक बार फिर थी

सुरेंद्र बंगाली @सुरेंद्र सिंह रूटेले बनाम झारखंड राज्य 19 में मान्यता प्राप्त।

11.7 इस तरह के बयानों की बहुलता के मामले में, यह देखा गया है कि यह बहुलता नहीं है, लेकिन इस तरह की घोषणा की विश्वसनीयता इसके साक्ष्य मूल्य को निर्धारित करती है। अमोल सिंह बनाम राज्य में माना गया सिद्धांत

एम. पी. **20** का यह थाः**-**

“13. ... यह मृत्यु घोषणाओं की बहुलता नहीं है, बल्कि इसकी विश्वसनीयता है जो अभियोजन मामले में वजन बढ़ाती है।यदि एक मृत्यु घोषणा स्वैच्छिक, विश्वसनीय और मानसिक स्थिति में की गई पाई जाती है, तो बिना किसी पुष्टि के उस पर भरोसा किया जा सकता है [लेकिन] बयान पूरे समय सुसंगत होना चाहिए।... हालांकि, यदि एक मृत्यु घोषणा और दूसरी मृत्यु घोषणा के बीच कुछ विसंगतियां देखी जाती हैं, तो न्यायालय को विसंगतियों की प्रकृति की जांच करनी होगी, अर्थात्, क्या वे भौतिक हैं या नहीं और ऐसी स्थिति में विभिन्न मृत्यु घोषणाओं की सामग्री की जांच करते समय, न्यायालय को आसपास के विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में इसकी जांच करनी होगी। "

17 (2008) 4 एस. सी. सी. 265 [2 न्यायाधीश पीठ] 18 (2002) 6 एस. सी. सी. 710 [5 न्यायाधीश पीठ]

19 2010 की आपराधिक अपील सं. 1078 [2 न्यायाधीश पीठ] 20 (2008) 5 एस. सी. सी. 468 [2 न्यायाधीश पीठ]
743

मंजूनाथ एंड ओआरएस. वी.कर्नाटक राज्य [संजय करोल, जे.]

11.7.1 कई मृत्यु घोषणाओं का सामना करना पड़ा, इस न्यायालय में

लखन बनाम एम. पी. **21** राज्य ने कहा **-**

“21. ....ऐसी स्थिति में किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है।यदि कई मृत्यु घोषणाएँ हैं और उनके बीच विसंगतियाँ हैं, तो आम तौर पर, मजिस्ट्रेट की तरह उच्च अधिकारी द्वारा दर्ज की गई मृत्यु घोषणा पर भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते कि इसकी सच्चाई के बारे में किसी भी संदेह को जन्म देने वाली कोई परिस्थिति न हो।यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें घोषणा की गई थी, स्वेच्छा से नहीं और यहां तक कि अन्यथा भी, यह अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, तो न्यायालय को एक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों की बहुत सावधानी से जांच करनी होगी और निर्णय लेना होगा कि कौन सी घोषणाएं निर्भर करने योग्य हैं। "

11.7.2 यह न्यायालय **,** जगबीर सिंह बनाम राज्य **(**एन. सी. टी. दिल्ली**) 22** में**,**

इस संबंध में, निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गयाः– “32. हम सोचेंगे कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के संदर्भ में, जब एक से अधिक मृत्यु घोषणाएं होती हैं, और पहले मृत्यु घोषणा में, आरोपी को शामिल करने की मांग नहीं की जाती है, लेकिन बाद में मृत्यु घोषणा में, मृतक द्वारा एक आकस्मिक हमला किया जाता है, तो मामले का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर किया जाना चाहिए।न्यायालय को संपूर्ण सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच करने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं किया जाएगा और साथ ही अलग-अलग घोषणाएं करने के आसपास की परिस्थितियों से भी मुक्त नहीं किया जाएगा।यदि न्यायालय यह मानती है कि दोषपूर्ण मृत्यु घोषणा विशेष रूप से मृतक की ऐसी घोषणा करने की क्षमता के संयोजन के साथ सत्यवादी स्थिति को सामने लाती है, तो जिस स्वैच्छिकता के साथ यह किया गया था,

जिसमें कोई संदेह नहीं है, शिक्षण और उकसाने को खारिज करना और अन्य सबूत जो दोषपूर्ण मृत्यु घोषणा की सामग्री का समर्थन करते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। समान रूप से, परिस्थितियाँ जो

21 (2010) 8 एस. सी. सी. 514 [2 न्यायाधीश पीठ] 22 (2019) 8 एस. सी. सी. 779 [2 न्यायाधीश पीठ] 744

/

[2023] 14 एस सी आर।

पहले की मृत्यु घोषणा को स्वीकार करने के योग्य या अयोग्य माना जा सकता है। "

11.8 मृत्यु घोषणा को दर्ज करने में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति एक आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल विवेक का नियम है।जयम्मा (ऊपर) में इस प्रभाव के लिए, इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"...कानून अनिवार्य रूप से मृत्यु घोषणा दर्ज करने के लिए न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं रखता है या यह कि मृत्यु घोषणा को एकमात्र साक्ष्य के रूप में तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज नहीं किया जाता है।यह केवल विवेक का नियम है, और यदि तथ्यों और परिस्थितियों द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है, तो मृत्यु घोषणा को न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जा सकता है ताकि अभियोजन मामले को अतिरिक्त ताकत मिल सके। "

लक्ष्मण (ऊपर) में संविधान पीठ का उल्लेख करते हुए मृत्यु घोषणा के सिद्धांत को मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाना आवश्यक नहीं है।

राजाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य **23** में दोहराया गया है

11.9 मृत्यु घोषणा को इसकी संक्षिप्तता के कारण खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

यह सूरजदेव ओझा बनाम बिहार राज्य 24 में आयोजित किया जाता है।

11.9.1 यह महाराष्ट्र राज्य बनाम में देखा गया था।

कृष्णमूर्ति लक्ष्मीपति नायडू **25** कि यदि मृत्यु घोषणा,

जबकि संक्षिप्त होने के बावजूद, इसमें आवश्यक जानकारी होती है, अदालतों को इसकी अनदेखी करने में न्यायसंगत नहीं ठहराया जाएगा।

11.9.2 वास्तव में, लक्ष्मण की संविधान पीठ ने इस सिद्धांत को दोहराते हुए कहाः–

"शायद इसलिए कि एक मृत्यु घोषणा में घटना का विवरण नहीं होता है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और यदि केवल एक संक्षिप्त बयान है, तो यह इस कारण से अधिक विश्वसनीय है कि बयान की संक्षिप्तता स्वयं इसकी सत्यता की गारंटी है। "

23 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1733 [2 जज बेंच] 24 1980 सप्लीमेंट एस. सी. सी. 769 [2 जज बेंच] 25 1980 सप्लीमेंट एस. सी. सी. 455 [2 जज बेंच] 745

मंजूनाथ एंड ओआरएस. वी.कर्नाटक राज्य [संजय करोल, जे.]

11.10 उस व्यक्ति की जाँच जो लिखित रूप में कम हो गया है, मृत्यु घोषणा, आवश्यक है। विशेष रूप से, साक्ष्य के उत्पादन के लिए आने वाले किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में जो देखा जाता है वह है

गोविंद नारायण बनाम राजस्थान राज्य **26.**

11.10.1 वास्तव में**,** कंस राज बनाम पंजाब राज्य **27** में यह आयोजित किया गया थाः**-**

"11. ...इस तरह के बयान को ठोस साक्ष्य के रूप में देने के लिए, उस पर भरोसा करने वाला व्यक्ति या एजेंसी इस तरह के बयान को तथ्य के रूप में साबित करने के लिए कानूनी दायित्व के अंतर्गत है।यदि यह लिखित रूप में है, तो लेखक को न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए और यदि यह मौखिक है, तो इसे उस व्यक्ति से पूछताछ करके साबित किया जाना चाहिए जिसने मृतक को बयान देते हुए सुना था।" और;

सुधाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य **28** में**,** यह न्यायालय स्पष्ट रूप से

देखा गयाः-

"5. यदि यह लिखित रूप में है, तो लेखक को न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए और यदि यह मौखिक है, तो यह उस व्यक्ति से पूछताछ करके साबित किया जाना चाहिए जिसने मृतक को बयान देते हुए सुना था।हालांकि, ऐसे मामलों में जहां मूल अभिलिखित मृत्यु घोषणा खो गई है और उपलब्ध नहीं है, अभियोजन पक्ष को इसका द्वितीयक साक्ष्य देने का अधिकार है। "

11.11 मृत्यु घोषणा से संबंधित मामले पर विचार करते समय न्यायालय को जो प्रश्न पूछने चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा इरफान @नाका बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 29 में सूचीबद्ध किया गया है, साथ ही ऊपर दिए गए सिद्धांतों के साथ-साथ मृत्यु घोषणा को दिए जाने वाले महत्व का निर्णय करते समय न्यायालय की ओर से विचार करने की पूरी आवश्यकता होती है।12. नेत्र साक्ष्य निस्संदेह अन्य प्रकार के साक्ष्यों की तुलना में बेहतर है और इसे एक मजबूत प्रकृति का प्रमाण माना जाता है।सिद्धांत यह है कि यदि चश्मदीद

गवाह की गवाही "पूरी तरह से विश्वसनीय" है, तो न्यायालय उस पर दोषसिद्धि का आधार बना सकती है।यह उन मामलों में भी लागू होता है जहां एकमात्र चश्मदीद गवाह होता है।30

26 1993 पूरक (3) एस. सी. सी. 343 [2 न्यायाधीश पीठ] 27 (2000) 5 एस. सी. सी. 207 [3 न्यायाधीश पीठ] 28 (2000) 6 एस. सी. सी. 671 [3 न्यायाधीश पीठ]

29 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1060 [3-न्यायाधीश पीठ] 30 (1993) 3 एस. सी. सी. 282 [2 न्यायाधीश पीठ] 746

/

[2023] 14 एस सी आर।

13. तथ्यों के अनुसार, निचली विचारण न्यायालय ने ऐसे सबूतों पर विश्वास नहीं किया है। चश्मदीद गवाह की गवाही को खारिज करना एक तथ्य-विशिष्ट सी जांच है, और इसलिए निचली विचारण न्यायालय द्वारा ऐसी कार्रवाई में सुधार पर बाद में चर्चा की जाएगी।14. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विधि अच्छी तरह से स्थापित है।लोकस

इस मुद्दे पर क्लासिकस शरद बर्डहिचंद सारदा (ऊपर) है, जो खड़ा है।

कमल बनाम राज्य (एन. सी. टी. ऑफ

दिल्ली**) 31. 14.1** उदाहरण के लिए**,** गार्गी बनाम हरियाणा राज्य **32** में इस न्यायालय ने कहा है**,**

पहले के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित सिद्धांतों का सारांश दिया।सिद्धांत यह है कि परिस्थितियों का योग, जब जांच की जाती है, तो अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करना चाहिए, जबकि उसकी निर्दोषता और दूसरे पक्ष के अपराध की अनुपस्थिति सहित अन्य सभी संभावित परिकल्पनाओं को खारिज कर देना चाहिए।आगे का संदर्भ हो सकता है

इंद्रजीत दास बनाम त्रिपुरा राज्य **33** और प्रकाश निषाद बनाम महाराष्ट्र राज्य **34**।

इस न्यायालय द्वारा विचार

15. मृत्यु घोषणा, जो उपरोक्त नामित अभियुक्त के अभियोजन के लिए प्राथमिक आधार है, निम्नानुसार है -

"टी. वी. बीरेगौड़ा पुत्र वेंकटप्पा, 41 वर्ष, वोक्कालिगा, कृषि, आर/ओ थोटलिगनहल्ली, शिडलाघट्टा तालुका।

मैं उपरोक्त पते पर रह रहा हूं और कृषि से आजीविका चला रहा हूं।आज यानी आई. डी. 1 को सुबह करीब 8 बजे मैं और मेरे भाई नारायणस्वामी, राजन्ना और गोपालरेड्डी और हमारे कार्यकर्ता मरप्पा काम के लिए हमारी जमीन पर गए थे।जब हम अपने देश में अपना काम

कर रहे थे, सुबह लगभग 9:30 बजे हमारे गाँव के बच्चन्ना के बेटों (1) मंजूनाथ, (2) रामगौड़ा (3) रायप्पा पुत्र नारायणप्पा पुत्र बच्चन्ना (4) रमेश पुत्र चिक्कवेनकटरायप्पा (5) मंजुनाथ (6) रामंजनप्पा (7) दयावप्पा पुत्र नारायणप्पा (8) दयावप्पा पुत्र चिक्क मुनिशामप्पा और अन्य लोगों ने गैरकानूनी रूप से सभा की और

31 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 933 [2 न्यायाधीश पीठ] 32 (2019) 9 एस. सी. सी. 738 [2 न्यायाधीश पीठ]

33 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 201 [2 जज बेंच] 34 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 666 [3 जज बेंच] 747

मंजूनाथ एंड ओआरएस. वी.कर्नाटक राज्य [संजय करोल, जे.]

हाथों में घातक हथियार लिए हुए, हमारे देश में आए और मेरे और मेरे भाइयों के साथ अभद्र भाषा में दुर्व्यवहार किया और हथियारों से हमला किया।अभियुक्त व्यक्तियों को देखकर, मेरे कार्यकर्ता और मेरे भाई अभियुक्त व्यक्तियों से बचने के लिए भाग गए।मैंने भी अभियुक्त से भागने की कोशिश की, उस समय मंजूनाथ ने मेरे सिर पर लोहे की छड़ से जबरन हमला किया, मैं नीचे गिर गया और तुरंत रमेश ने मेरे पैरों पर दरांती से हमला किया, रामगौड़ा ने मेरे दाहिने पैर में दरांती से हमला किया।रायप्पा और अन्य लोगों ने मेरे हाथों में और मेरे पूरे शरीर पर डंडे लिए हुए मुझ पर हमला किया।मेरे दोनों हाथ और पैर उखड़ गए जिसके परिणामस्वरूप खून की चोटें आईं।मुझे भी खून की चोटें आईं।इसके बाद, हमारे गाँव के निवासी मरप्पा पुत्र अंजनप्पा, बी. के. रमेश गौड़ा, पुत्र कृष्णप्पा और चंद्रप्पा पुत्र वेंकट गौड़ा ने मुझे अभियुक्त के हाथों से रिहा कर दिया और मुझे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल, शिदलाघट्टा में भर्ती कराया।मैं उन अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं जिन्होंने मुझ पर हमला किया है जिससे मुझे गंभीर चोटें आई हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करें।

पढ़िए और सही पाएँ

टी. वी. बाइरेगौड़ा का एल. टी. एम. "

(जोर दिया गया) 16.यह पीडब्लू1 (डॉक्टर) और पीडब्लू19 (पुलिस अधिकारी) की गवाही से निकलता है कि मृतक की मृत्यु घोषणा उनकी उपस्थिति में की गई थी।पीडब्लू1 ने कहा "जब पुलिस ने घायलों का बयान दर्ज किया।मैं उपस्थित था और अब चिह्नित Ex.P.1 बयान में उस बयान का समर्थन भी किया, Ex.P.1 (a) मेरा समर्थन है और Ex.P.1 (b) मेरा हस्ताक्षर है और PW19 ने कहा, "मैं अस्पताल गया और डॉक्टर की उपस्थिति में घायल बाइरेगौड़ा से पूछताछ की और बयान दर्ज किया।बयान को Ex के रूप में चिह्नित किया गया है। पी. 1 और मेरे हस्ताक्षर पर एक्स चिह्नित है। पृ. 1 (ख)।डॉक्टर ने भी उक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं।

17. यह रिकॉर्ड से आगे निकलता है, यानी, पीडब्लू19 की गवाही कि हालांकि उन्होंने मृतक द्वारा की गई मृत्यु घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन प्रतिपरीक्षा से पता चलता है कि उन्होंने खुद ऐसा नहीं लिखा था।यह कहा गया थाः-

"Ex में सामग्री। पी. 1 मेरी लिखावट में नहीं हैं।उक्त दस्तावेज़ में यह समर्थन नहीं है कि उक्त दस्तावेज़ किसने लिखा है। "

इसके अलावा, अपनी पुनः परीक्षा में, वह कहते हैं कि-"एक्स में सामग्री। पी1 हमारे स्टेशन के कर्मचारी नटराज के हाथ में लिखा हुआ है।उक्त बयान मृतक द्वारा बताए गए और मेरे द्वारा बताए गए अनुसार लिया गया था।चूंकि मृतक के दाहिने हाथ में भी चोट लगी थी, इसलिए वह उस पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं था।

और पीडब्लू1 ने मृत्यु की घोषणा दर्ज करने वाले व्यक्ति के बारे अंतर्गत कहाः-

"मैं उस पुलिस वाले के नाम से नहीं कह सकता जिसने घायलों का बयान दर्ज किया था। हमारे अभिलेख भी घायलों के कथित बयान दर्ज करने के समय का खुलासा नहीं करते हैं। यह सच है कि घायलों का कथित बयान दर्ज करने से पहले न तो पुलिस ने मुझसे लिखने का अनुरोध किया था और न ही मैंने उन्हें घायलों का बयान दर्ज करने के लिए लिखित रूप में अनुमति दी थी।यह सच है कि जब घायल का कथित बयान दर्ज किया गया तो उसके आसपास कई लोग थे।यह कहना सही नहीं है कि उस दिन घायल कोई बयान देने की स्थिति में नहीं था और पुलिस ने उस समय उसका बयान दर्ज नहीं किया जैसा कि एक्स में कहा गया है। पी. 1. "

18. खैर, इसे किसने रिकॉर्ड किया?, उसका नाम क्या था?, अगर वह एक पुलिस कर्मी थे तो उनका पदनाम क्या था?उसके द्वारा अप्रकाशित रहता है।विशेष रूप से, यह गवाह भी इसकी सामग्री की शुद्धता या अन्यथा की गवाही नहीं देता है।यह गवाही दी गई थी कि इस तरह के बयान दर्ज करने के समय "आसपास कई लोग थे"।ये व्यक्ति कौन थे, यह एक और पहलू है जो स्पष्ट नहीं है।इन व्यक्तियों की जाँच की गई थी या नहीं, यह अज्ञात है।मृत्यु घोषणा पत्र पर मृतक द्वारा अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि मृतक अनपढ़ था।डॉक्टर ने यह भी नहीं बताया कि घायल हस्ताक्षर करने की स्थिति में था।फिर अंगूठे की छाप क्यों एक रहस्य बनी हुई है जो इस तरह की घोषणा की प्रामाणिकता या शुद्धता के बारे में गंभीर संदेह पैदा करती है।

19. हालाँकि, लेखक की जाँच न होने का कारण स्पष्ट नहीं है।निचली विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि पत्रकार से किस या किस विशेष

कारण से पूछताछ नहीं की जा सकी है।सुधाकर (ऊपर) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि मूल मृत्यु घोषणा 749

मंजूनाथ एंड ओआरएस. वी.कर्नाटक राज्य [संजय करोल, जे.]

यदि गुम हो जाता है और इसलिए उपलब्ध नहीं है, तो अभियोजन पक्ष इसके समर्थन में द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।इस तरह के अधिकार का तार्किक विस्तार यह होगा कि यदि लेखक, असमर्थता या मृत्यु जैसे नियंत्रण से परे कारणों से अनुपलब्ध होगा, तो अभियोजन पक्ष के लिए द्वितीयक साक्ष्य की आवश्यक सहायता लेने के लिए खुला होगा। हालाँकि, ऐसा नहीं होने पर, इस तरह की अस्पष्टीकृत गैर-परीक्षा, होल्डिंग्स के परिणामस्वरूप होगी

गोविंद नारायण (ऊपर), कंस राज (ऊपर) और सुधाकर (ऊपर), प्रस्तुत करते हैं

यदि मामला संदिग्ध नहीं है, तो अभियोजन पक्ष के मामले को एक घातक झटका लगेगा।20. मृत्यु घोषणा की प्रकृति को देखते हुए, यह आवश्यक है कि इस तरह का विधि शिक्षण, प्रोत्साहन से निशुल्क हो या कल्पना का उत्पाद न हो।लेकिन डॉक्टर, पीडब्लू1 के बयान से पता चला है कि जिस समय मृत्यु की घोषणा की जा रही थी, उस समय उनके पास कई लोग मौजूद थे।ऐसे मामले में, क्या यह स्पष्ट रूप से खारिज किया जा सकता है कि मृतक द्वारा दिया गया बयान शिक्षण या उकसाने से निशुल्क है?

21.उत्तर देने के लिए, हमने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए, वर्तमान अपील के निर्णय के लिए प्रासंगिक गवाही का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया है।

21.1 अभियोजन पक्ष ने कई स्वतंत्र गवाहों की गवाही के माध्यम से नेत्र साक्ष्य के माध्यम से आरोपी के अपराध को स्थापित करने का प्रयास किया है।

21.2 पीडब्लू-2 ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है और शत्रुतापूर्ण घोषित किए जाने और व्यापक रूप से प्रतिपरीक्षा किए जाने के बावजूद, उसकी गवाही से अभियोजन पक्ष के मामले में कुछ भी उपयोगी नहीं निकला है।वे केवल इतना कहते हैं कि "गाँव की दिशा से 50 से 60 व्यक्तियों का एक समूह भूमि की ओर बढ़ा।यही देखकर मैं गाँव की ओर चला गया।" मृतक के घर की महिलाएँ आईं और बताया कि मृतक को अस्पताल में इलाज कराना पड़ा क्योंकि उसे चोटें आई हैं।उन्होंने पुलिस द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों पर अपने अंगूठे का निशान लगाने से इनकार किया है और किसी भी वैज्ञानिक साक्ष्य के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं हुआ है।

21.3 इस मुद्दे पर हम पीडब्लू-9 (मृतक की मां) की गवाही पर भी ध्यान देते हैं, जो केवल यह बताती है कि अस्पताल में मृतक ने उसे सूचित किया कि "अदालत के समक्ष आरोपी व्यक्तियों" ने 750 लोगों को पीटा था।

और उसे घायल कर दिया, लेकिन फिर यह किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करता है, इसके लिए न केवल सुनी-सुनाई बातों की प्रकृति है, बल्कि जांच के दौरान पुलिस द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया है और यह केवल एक सुधार और अतिशयोक्ति प्रतीत होती है।इसी तरह के प्रभाव के लिए, पीडब्लू-10 (मृतक की पत्नी) की गवाही है।पीडब्लू-11 और पीडब्लू-12 की गवाही का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि वे घटना की घटना के गवाह नहीं हैं।

21.4 पीडब्लू 3 ने कहा कि 25 से 30 लोगों का एक समूह मृतक और अन्य, यानी पीडब्लू 5, पीडब्लू 6, पीडब्लू 7 और पीडब्लू 2 की ओर बढ़ रहा था, जो गाँव के पास की भूमि में काम कर रहे थे।यह वही है जो मृतक को अस्पताल ले गया था।हालाँकि, उससे पूछताछ के प्रतिपरीक्षा भाग में, यह सामने आता है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की घटनाओं का उसका स्मरण अस्पष्ट था।उनकी तीन बार जांच की गई थी।यह भी पता चलता है कि कई पहलुओं, इस गवाह ने जाँच अधिकारियों के सामने गवाही नहीं दी थी।वह उस स्थान पर नीलगिरी के पेड़ों की उपस्थिति का उल्लेख करता है जहाँ मृतक को रखा गया था।हालाँकि यह उसकी गवाही में नहीं आता है कि आरोपी को उस विशेष स्थान पर किसने रखा था।21.5 पीडब्लू 4 के अनुसार, मृतक के भाई, घटना की तारीख से पहले, 4 अगस्त, 1997 को पीडब्लू 4 और एक शंकरप्पा के बीच एक रास्ते के उपयोग के संबंध में एक और झगड़ा हुआ था।उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, उन्होंने गवाही दी है कि लोहे की जंजीरों, डंडों और दरांती जैसे हथियारों के साथ 25 से 30 लोगों का एक समूह उन भूमि पर आया जहां वे दूसरों के साथ काम कर रहे थे।उन्होंने कहा कि जब वे लौटे, 10 या 15 मिनट के बाद, डर से भागकर, व्यक्तियों के इस सशस्त्र समूह के पास पहुंचने पर, पीडब्लू 6 सहित अन्य लोग मृतक व्यक्ति के पास मौजूद थे।उन्होंने आरोपी व्यक्तियों और मृतक के परिवार के बीच दुश्मनी के तथ्य की भी गवाही दी है।उन्होंने कहा है कि यह गलत है कि उनके भाई पर हमला करने के बाद, कुछ लोगों ने उन्हें पीडब्लू11 की भूमि में फेंक दिया था।

21.6 पीडब्लू15 ने अपनी गवाही में कहा है कि नीलगिरी के बागान से लौटने पर उसने आरोपी को बागान उद्यान के दक्षिणी हिस्से में घायल अवस्था में पाया।पीडब्लू 4 और 5 वहाँ मौजूद थे।मृतक को अस्पताल ले जाने के बाद, यह गवाह गाँव लौट आया।उन्होंने गवाही दी कि, घटना के लगभग एक सप्ताह बाद कई बरामदगी की गई और वह 751 उपस्थित थे।

मंजूनाथ एंड ओआरएस. वी.कर्नाटक राज्य [संजय करोल, जे.]

विभिन्न महजारों पर हस्ताक्षर किए गए।अभियुक्त और मृतक के बीच दुश्मनी के संबंध में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह एक समझौते में समाप्त हो गया था।

21.7 यह नोट करने के बाद कि किसी अन्य गवाह ने उस तरीके से गवाही नहीं दी है जिसमें उन्होंने मृतक को नीलगिरी के पत्तों पर पड़ा देखा था, जैसा कि पीडब्लू15 द्वारा गवाही दी

गई थी, निचली विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड पर नेत्र साक्ष्य से बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया जाना था।

21.8 हम मानते हैं कि इन गवाहों में से किसी ने भी, चाहे वे प्रत्यक्षदर्शी हों, अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया है।गैरकानूनी सभा का हिस्सा बनने वाले व्यक्तियों की संख्या के संबंध में गवाही में विरोधाभास है-एक गवाह ने 50-60 व्यक्तियों की उपस्थिति की गवाही दी जबकि अन्य ने समूह के 25-30 व्यक्तियों की गवाही दी; इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि मृतक PW11 की भूमि में कैसे समाप्त हुआ-दो कथित चश्मदीद गवाहों, PW3 और PW15 के बीच एक भौतिक विरोधाभास।पी. डब्ल्यू. 3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि उन्होंने मजार पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा गया था कि वह पढ़ने/लिखने में सक्षम नहीं थे।घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति का कोई कारण नहीं बताया गया है-न तो वह गाँव का निवासी है और न ही उसके पास उक्त गाँव में ज़मीन है।इसके अलावा, उनकी तीन बार जांच किए जाने के कारणों को कल्पना पर छोड़ दिया जाता है।इस तरह के बयानों में समानताएं, मतभेद, यदि कोई हैं, तो सामने नहीं लाए गए हैं।आखिरकार, यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक गवाही को अलग से महत्व नहीं दिया जा सकता है।यह तर्क पर लागू नहीं होता है कि एक व्यक्ति जो गाँव का निवासी नहीं है, केवल यह देखने के लिए उस स्थान पर जाएगा कि क्या हो रहा है, जबकि अन्य करीबी रिश्तेदारों ने घटनास्थल से भागने का प्रयास किया है।हम देखते हैं कि पुलिस ने उससे तीन बार पूछताछ की और उसके बयान दर्ज किए।ऐसा क्यों है?कल्पना पर छोड़ दिया जाता है।उसका बयान कि आरोपी ने कहा था कि "यह व्यक्ति अब समाप्त हो गया है और हमें जाने दो" उसके पिछले बयान में दर्ज नहीं है जिसमें उसका सामना किया गया था।इसे समग्र रूप से पढ़ना होगा।पीडब्लू15 की गवाही के एक नंगे अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक को उसने पहले से ही घायल अवस्था में देखा था, जिसका अर्थ है कि उसने वास्तव में आरोपी व्यक्तियों को मृतक पर हमला करते नहीं देखा है।इसलिए, एक नेत्र गवाह के रूप में उनकी स्थिति को संदिग्ध बना दिया गया है।पीडब्लू2 ने पदच्युत किया है कि उसने लोगों के एक बड़े समूह को गाँव की दिशा से 752 की ओर आते देखा था।

/

[2023] 14 एस सी आर।

जहाँ वे थे और वही देखते हुए, वे गाँव की ओर, यानी विपरीत दिशा में आगे बढ़े थे।पीडब्लू-4 मृतक का भाई है, लेकिन उसके आचरण को असामान्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में, जो तर्क की अवहेलना करता है।एक रिश्तेदार होने के बावजूद, उसका कार्य एक अजनबी का है, अर्थात, विवाद से भागना; मृतक को रक्षाहीन छोड़ना; वह मृतक के साथ अस्पताल नहीं गया जो घायल अवस्था में था।आखिरकार, तत्काल घटना से तुरंत पहले उसके साथ झगड़ा हुआ था, और इसलिए, अगर हमलावरों का

कोई मकसद था-तो वही उसके खिलाफ होगा, और कोई और नहीं।इस तरह के आचरण को देखने के बाद, हम उसकी गवाही को विश्वास के योग्य नहीं मानते हैं।

21.9 हम अपने सुविचारित दृष्टिकोण से यह नहीं कह सकते कि इस गवाह ने सच्चाई को अपदस्थ कर दिया है।इतना ही नहीं, जब हमने गवाही के प्रतिपरीक्षा भाग को पढ़ा, तो हमने पाया कि उनका कथन विश्वास में अप्रभावी था।उसे याद नहीं है कि क्या पुलिस ने उस स्थान पर जाँच की है जहाँ उसका भाई लेटा हुआ था।उसे याद नहीं है कि पुलिस ने गाँव का दौरा किया था।क्या इस तरह का अस्पष्ट इनकार गवाह को अविश्वसनीय और श्रेय के योग्य नहीं बनाता है?ऐसा प्रतीत होता है कि गवाह मौके पर मौजूद नहीं था और अभियोजन पक्ष द्वारा उसे सुझावों के साथ पेश किया गया था, वास्तव में, जैसा कि आरोपी ने उसे बताया था।

21.10 हम देखते हैं कि पीडब्लू-5 की गवाही पीडब्लू-4 की तरह ही है।उन्होंने कहा कि आरोपी हथियारबंद होकर आए और "उन्हें पकड़ो, और हम उन्हें मार देंगे" चिल्लाने लगे। वह यह भी कहता है कि आरोपी को देखकर पीड़ित पक्ष के सभी सदस्य घटनास्थल से भाग गए, जबकि मृतक बेहोश था, और हमलावरों ने उस पर रॉड, छड़ी और दरांती से हमला किया।विशेष रूप से, अपनी जिरह में, वह अपने द्वारा किए गए कई सुधारों को स्वीकार करता है; उसे याद नहीं है कि उसने पुलिस को सूचित किया था कि आरोपी अपने साथ लाए गए हथियारों को पकड़े हुए गाँव की ओर बढ़ रहे थे।वास्तव में, उनका संस्करण न केवल आत्म-विरोधाभासी है, बल्कि अन्य गवाहों के विपरीत भी है।उनका कहना है कि हमलावरों के अलावा अन्य लोग भी मौजूद थे और उनके समूह का हिस्सा थे।ऐसे व्यक्तियों के ठिकाने का खुलासा नहीं किया गया है और, विशेष रूप से, यह गवाह यह नहीं बताता है कि किस आरोपी के पास कौन सा हथियार था और उनमें से किस ने वास्तव में मृतक के शरीर पर हमला किया था या चोटें लगाई थीं।

वह लगभग एक फ़र्लांग की दूरी तक भागने और लगभग 10 मिनट तक पेड़ों के नीचे/पीछे छिपने की बात स्वीकार करता है और आरोपी के मौके से चले जाने के बाद ही मौके पर लौट आया।

21.11 पीडब्लू-19 स्वीकार करता है कि "06.08.1997 पर, एडब्ल्यू2 से 10,12 से 17 ने मुझे यह नहीं बताया कि मृतक पर हमला किसने, कहाँ और कैसे किया।सभी उक्त व्यक्ति बयान देने के लिए उपलब्ध नहीं थे।

21.12 अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के उपरोक्त पहलुओं को नोट करने के बाद हम उन्हें अविश्वसनीय, विश्वास के योग्य नहीं मानते हैं।गवाही आवश्यक भौतिक तथ्यों पर अलग-अलग होती है, जैसे कि व्यक्तियों की संख्या, आरोपी कैसे आया जहां उसने किया था, जब पता चला आदि।

22. एक चश्मदीद गवाह पर विश्वास करने के लिए, उसका साक्ष्य, यह माना गया है, उत्कृष्ट गुणवत्ता का होना चाहिए।इसे अंकित मूल्य पर लेने में सक्षम होना चाहिए।राय संदीप उर्फ दीपू में इस सिद्धांत की चर्चा की गई है।

दीपू बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) 35 निम्नानुसार -

"22. हमारी सुविचारित राय में, "उत्कृष्ट गवाह" बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता का होना चाहिए जिसका संस्करण, इसलिए, अनुपलब्ध होना चाहिए।ऐसे गवाह के बयान पर विचार करने वाली न्यायालय को बिना किसी हिचकिचाहट के इसे उसके अंकित मूल्य के लिए स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए।ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की स्थिति महत्वहीन होगी और ऐसे गवाह द्वारा दिए गए बयान की सच्चाई प्रासंगिक होगी।जो अधिक प्रासंगिक होगा वह प्रारंभिक बिंदु से अंत तक बयान की स्थिरता होगी, अर्थात् उस समय जब गवाह प्रारंभिक बयान देता है और अंततः न्यायालय के समक्ष।यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए।ऐसे गवाह के बयान में कोई पूर्वधारणा नहीं होनी चाहिए।गवाह को किसी भी अवधि की प्रतिपरीक्षा का सामना करने की स्थिति अंतर्गत होना चाहिए और चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो और किसी भी परिस्थिति अंतर्गत घटना के तथ्य, इसअंतर्गत शामिल व्यक्तियों के साथ-साथ उसके अनुक्रम के बारे अंतर्गत किसी भी संदेह के लिए जगह नहीं देनी चाहिए।इस तरह के संस्करण का प्रत्येक के साथ सह-संबंध होना चाहिए और

35 (2012) 8 एस. सी. सी. 21 [2 न्यायाधीश पीठ] 754

/

[2023] 14 एस सी आर।

अन्य सहायक सामग्रियों में से प्रत्येक जैसे कि बरामद किए गए हथियार, उपयोग किए गए हथियार, किए गए हथियार, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय।उक्त संस्करण को हर दूसरे गवाह के संस्करण के साथ लगातार मेल खाना चाहिए।यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए गए परीक्षण के समान होना चाहिए जहां अभियुक्त को उसके खिलाफ कथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई गुम कड़ी नहीं होनी चाहिए।केवल तभी जब ऐसे गवाह का संस्करण उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों के लिए योग्य हो, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को "उत्कृष्ट गवाह" के रूप में बुलाया जा सकता है, जिसका संस्करण न्यायालय द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है।अधिक सटीक होने के लिए, अपराध के मूल स्पेक्ट्रम पर उक्त गवाह का संस्करण बरकरार रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी परिचर सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुओं को सामग्री विवरणों में

उक्त संस्करण से मेल खाना चाहिए ताकि न्यायालय को मूल संस्करण पर भरोसा करने में सक्षम बनाया जा सके ताकि अभियुक्त को आरोप के दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्री की छान-बीन की जा सके। "

(जोर दिया गया**)**

यह इस न्यायालय द्वारा गणेशन बनाम राज्य 36 में प्रोफिटी के साथ उद्धृत किया गया था। हाल ही में, इस सिद्धांत को नरेश @नेहरू बनाम राज्य में दोहराया गया था।

हरियाणा 37.

23. चूंकि उपरोक्त चर्चा एक उत्कृष्ट गवाह के गुणों पर चित्रण को दर्शाती है, इसलिए अभियोजन पक्ष का कोई भी गवाह इस मानक के अनुसार योग्य नहीं होगा।अभिलेख से कई अंतर्विरोध और विसंगतियां सामने आई हैं, जो ऐसे गवाहों को अविश्वसनीय और अविश्वसनीय बनाती हैं ताकि अभियुक्त व्यक्तियों को अपराध करने का दोषी ठहराने के लिए उन पर भरोसा किया जा सके।

24. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर, निचली विचारण न्यायालय ने पीडब्लू 1-5,10,13 और 15 की गवाही की जांच की है।ऊपर, हमने 15 के साथ पीडब्लू 1,2,3 और 4 पर चर्चा की है।अब हम पीडब्लू 10 और 13 पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं,

36 (2020) 10 एस. सी. सी. 573 [3 न्यायाधीश पीठ]

37 2023 की आपराधिक अपील No.1786 [2 न्यायाधीश पीठ] 755

मंजूनाथ एंड ओआरएस. वी.कर्नाटक राज्य [संजय करोल, जे.]

स्वतंत्र रूप से।पी. डब्ल्यू. 5, हालांकि एक परिस्थितिजन्य गवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसी का एक पठन गवाह को एक चश्मदीद गवाह होने का सुझाव देता है।

24.1 पीडब्लू10 ने कहा कि व्यक्तियों के समूह को देखकर, मैं उनके साथ अलग-अलग दिशाओं में थाधूरू की ओर भागा।वहाँ रहते हुए, उन्होंने अपने भाई (मृतक) के बारे में सुना कि उन्हें कई चोटें आई हैं।इस तरह की जानकारी के अनुसार वह अस्पताल गया जहां उसने कहा कि मृतक ने खुद कहा कि "मंजूनाथ और हमारे गांव के उसके गुर्गों ने उस पर हमला किया" उसने कहा, वह कभी भी उस जगह पर नहीं गया जहां मृतक लेटा हुआ था और न ही वह कह सकता था कि उसे अपने भाई की चोटों के बारे में किसने सूचित किया था। इसलिए, उनका कथन सुनी-सुनाई बातों की प्रकृति है।24.2 जिन परिस्थितियों का उल्लेख निचली विचारण न्यायालय द्वारा दी गई गवाही में किया गया है, हम मानते हैं कि वे निर्णायक रूप से सभी अभियुक्तों के अपराध की ओर इशारा नहीं करती हैं।अभिलेख पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निम्नलिखित निष्कर्ष, हमारे निष्कर्ष का समर्थन करते हैं-पीडब्लू15 के अलावा किसी भी गवाह ने भरोसा नहीं किया, सभी अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लें; 25

से 30 लोगों के एक समूह को आम तौर पर संदर्भित किया जाता है-एक सामान्य विवरण अपराध का संकेत नहीं देता है।दूसरा, दुश्मनी का तथ्य हालांकि कई गवाहों द्वारा बार-बार गवाही दी जाती है, अपने आप में आरोपी पर मृतक व्यक्ति की हत्या करने का अपराध नहीं थोप सकता है।इस दृष्टिकोण का समर्थन इस तथ्य से किया जाता है कि मृतक के एक भाई और कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के बीच विवाद के परिणामस्वरूप दर्ज किए गए आपराधिक मामले के परिणामस्वरूप उन्हें बरी कर दिया गया, जैसा कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा नोट किया गया है।24.3 यह सच है कि पीडब्लू4 जैसे कुछ गवाहों ने विशेष हथियार रखने वाले कुछ अभियुक्त व्यक्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।एक एकल पहलू के रूप में, इसे मृतक व्यक्ति की मृत्यु में सहायता करने वाले अभियुक्त द्वारा किए गए एक विशेष कार्य के संकेत के रूप में देखा जा सकता है।हालाँकि, पीडब्लू1 के चिकित्सा साक्ष्य भी उस संभावना को नकारते हैं।गवाही का प्रासंगिक उद्धरण पुनः प्रस्तुत किया गया हैः–

" मैं एम. ओ. 3 में क्लब देखता हूँ।इनकी लंबाई लगभग 4 फीट और व्यास 3 इंच है।यदि किसी व्यक्ति पर इस तरह के क्लबों द्वारा बार-बार हमला किया जाता है, तो वह कई खरोंच, चोटों और घावों को बनाए रखेगा।

जब मैंने मृतक बीरेगौड़ा की चिकित्सकीय जांच की, तो मुझे उनकी पीठ या छाती पर और पेट पर भी चोटों के घाव नहीं मिले।मैंने मृतक के शरीर पर कोई घाव नहीं पाया। "

24.4 हालाँकि यह सच हो सकता है कि मृतक की मृत्यु चोटों के कारण हुई थी, जैसा कि पीडब्लू1 की उपरोक्त निकाली गई गवाही से पता चलता है, उक्त चोटें उन हथियारों के परिणामस्वरूप नहीं हो सकती थीं जो आरोपी व्यक्ति कथित रूप से दे रहे थे, और जो कथित रूप से उनके कहने पर बरामद किए गए थे।

24.5 यह इन दोनों मामलों पर है, हम रिकॉर्ड पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्राप्त करते हैं, निर्णायक रूप से अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध की ओर इशारा नहीं करते हैं।हम आगे प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को भी संदिग्ध करार देते हैं, क्योंकि हथियार, जो अभियुक्तों के पास थे, और बाद में उनके कहने पर बरामद किए गए थे, मृतक के शरीर पर पाए गए घावों के अनुरूप नहीं हैं, जैसा कि पी. डब्ल्यू. 1 की प्रतिपरीक्षा से पता चला है।

25. अगला पहलू कथित हथियारों की बरामदगी है, हमने विचारण न्यायालय के पहलुओं पर चर्चा करते हुए इसके विवरणों को नोट किया है।इस तरह की बरामदगी को निचली विचारण न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि क्लबों को जनता के लिए सुलभ स्थान से बरामद किया गया था और हेलीकॉप्टर और छड़ें एक ऐसे घर से बरामद की गई थीं

जहां अन्य व्यक्ति भी रह रहे थे जो इस तरह की बरामदगी की पवित्रता से समझौता करता है और इसकी सच्चाई को छीन लेता है।

26. आगे की गई खोज, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यह एक ऐसा तथ्य होना चाहिए जो हिरासत में किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप पाया जाता है।इन शर्तों पर प्रिवी काउंसिल द्वारा पुलुकुरी कोटय्या बनाम राजा सम्राट 38 में चर्चा की गई है और इस न्यायालय द्वारा मोहम्मद में इस स्थिति को दोहराया गया था।

इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य **39,** निम्नलिखित शब्दों में:-

"12…यह देखा जाएगा कि इस धारा को लागू करने के लिए आवश्यक पहली शर्त एक तथ्य की खोज है, हालांकि एक प्रासंगिक तथ्य है, जो एक अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप है।दूसरा यह है कि इस तरह के तथ्य की खोज को पदच्युत किया जाना चाहिए।तीसरा यह है कि सूचना प्राप्त होने के समय आरोपी को पुलिस हिरासत में होना चाहिए।अंतिम लेकिन

38 1946 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 47 39 (1976) 1 एस. सी. सी. 828 757

मंजूनाथ एंड ओआरएस. वी.कर्नाटक राज्य [संजय करोल, जे.]

सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि केवल "इतनी अधिक जानकारी" ही स्वीकार्य है जो इस प्रकार खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है।बाकी जानकारी को बाहर रखा जाना चाहिए।"स्पष्ट रूप से" शब्द का अर्थ है "प्रत्यक्ष रूप से", "निर्विवाद रूप से", "सख्ती से", "स्पष्ट रूप से"।इस शब्द का उपयोग सिद्ध करने योग्य जानकारी के दायरे को सीमित करने और उसकी अवहेलना करने के लिए करने की सलाह दी गई है।वाक्यांश "स्पष्ट रूप से इस तरह से खोजे गए तथ्य से संबंधित है" प्रावधान का लिंचपिन है।यह वाक्यांश अभियुक्त द्वारा प्रदान की गई जानकारी के उस हिस्से को संदर्भित करता है जो खोज का प्रत्यक्ष और तत्काल कारण है।

(जोर दिया गया) 27।प्रथम दृष्टया, वर्तमान तथ्यों में, उपरोक्त 3 शर्तें पूरी होती प्रतीत होती हैं। हालाँकि, विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि की गई खोज या तो किसी सार्वजनिक स्थान से थी या किसी ऐसे क्षेत्र से थी जहाँ अन्य व्यक्ति भी रहते थे, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था।हम मानते हैं कि निचली विचारण न्यायालय का यह दृष्टिकोण सही है।

27.1 इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में इस स्थिति को स्पष्ट किया है।

सचित्र रूप से, जयकाम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **40** में यह देखा गया था:-

"कथित बरामदगी में से एक उस कमरे से है जहाँ मृतक असगरी सोता था।अन्य दो बरामदगी मृतक शौकीन खान के घर के ठीक पीछे यानी घटना स्थल से हुई है।इस प्रकार

यह देखा जा सकता है कि वसूली उन स्थानों से की गई थी, जो सभी के लिए सुलभ थे और इस तरह की वसूली पर कोई निर्भरता नहीं रखी जा सकती थी। "

(बल दिया गया)

27.2 इसके अलावा, निखिल चंद्र मंडल बनाम राज्य डब्ल्यू. बी. **41** में न्यायालय ने आयोजितः-

"20. निचली विचारण न्यायालय ने दो आधारों पर कपड़े और हथियार की बरामदगी पर विश्वास नहीं किया।पहला, कि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अंतर्गत अभियुक्त का कोई ज्ञापन बयान आवश्यक नहीं था और दूसरा, चाकू की बरामदगी एक खुली जगह से सुलभ थी।

40 (2021) 13 एस. सी. सी. 716 41 (2023) 6 एस. सी. सी. 605 758

/

[2023] 14 एस सी आर।

एक और सभी को।हम मानते हैं कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण विधि के अनुसार था।हालाँकि, इस परिस्थिति का, जो हमारे विचार में, उपयोग नहीं किया जा सकता था, उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति की पुष्टि करने के लिए नियोजित किया गया है। "

(जोर दिया गया) 28.जैसा कि अभिलेख से पता चलता है, और विशेष रूप से पीडब्लू-15 की गवाही से यह स्पष्ट है कि खोज (उदाहरण के लिए ए 10 द्वारा दिखाई गई छड़ी) एक नीलगिरी छड़ी थी, जो नीलगिरी के बागान से पाई गई थी, जो निर्विवाद रूप से एक सार्वजनिक स्थान है और एक सप्ताह बाद पाई गई थी।उस दिन ही कथित तौर पर आधा किलोमीटर दूर पाई गई दूसरी और तीसरी छड़ी एक झाड़ी को मिली, जो एक बार फिर सार्वजनिक पहुंच का स्थान था।ए 6 और ए 7 पर बरामद की गई दो और छड़ें भी सार्वजनिक स्थानों से थीं।ए 1 और ए 2 के घर से बनी लोहे की जंजीर इस संभावना से निशुल्क नहीं है कि उनके घर का कोई अन्य निवासी इसके लिए जिम्मेदार नहीं था।हम आगे इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि लाठी, चाहे वह बांस हो या अन्य, ग्रामीण जीवन में आम वस्तुएं हैं, और इसलिए, ऐसी वस्तुएं, जो शायद ही सामान्य हैं, और जो भी सार्वजनिक पहुंच के स्थानों पर पाई जाती हैं, का उपयोग अभियुक्त व्यक्तियों पर अपराध का आरोप लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्ष

29. इसलिए, हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

29.1 मृत्यु घोषणा, हालांकि निस्संदेह सबूत का एक ठोस टुकड़ा है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, वर्तमान तथ्यों को निरर्थक बना दिया गया है क्योंकि इस तरह की घोषणा को हटाने वाले व्यक्ति की जांच नहीं की गई थी, और न ही पुलिस अधिकारी (पीडब्लू19) ने उक्त दस्तावेज़ का समर्थन किया था, जिसमें इस बात का विवरण था कि घोषणा को किसने हटाया।यह भी स्पष्ट नहीं है कि मृतक के किस रिश्तेदार के सामने उसे नीचे उतारा गया था।

29.2 अभिलेख पर मौजूद परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऊपर वर्णित कारणों के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध की परिकल्पना की ओर इशारा नहीं करते हैं।

29.3 प्रत्यक्षदर्शियों में से कोई भी-पीडब्लू 2,3,15, जैसा कि निचली विचारण न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया है, किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को एक विशेष भूमिका का श्रेय देने में सफल नहीं हुआ है और समान रूप से ए-1 से ए-5 और ए-7 को, जिनके बरी होने के निर्णय को उच्च न्यायालय ने पलट दिया है।

759

मंजूनाथ एंड ओआरएस. वी.कर्नाटक राज्य [संजय करोल, जे.]

30. हमारे सुविचारित विचार में, विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था और साक्ष्य के सही और पूर्ण मूल्यांकन के साथ-साथ कानून के अनुप्रयोग में भी कोई त्रुटि नहीं थी; उच्च न्यायालय को बिना कोई ठोस कारण बताए ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

31. उपरोक्त कारणों से, 2004 की आपराधिक अपील संख्या 1795 दिनांक 21 सितंबर 2010 में हमारे समक्ष आरोपित निर्णय को दरकिनार आक्षेपित गया है।तदनुसार, अपील की अनुज्ञात जाती है।

32. उपरोक्त अपीलों को अनुज्ञात करने के बाद, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के तहत आपराधिक अपील उच्च न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता की पूरी हद तक सराहना नहीं की है।यह कि अपील न्यायालय को बरी करने के अपने निर्णय को पलटने में सावधानी बरतनी चाहिए, एक ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसे दोहराने की आवश्यकता है।यह बार-बार माना गया है कि बरी किए जाने के फैसले को केवल बहुत ही सम्मोहक कारणों की उपस्थिति में पलट दिया जाएगा।42 इसके अलावा, प्रिवी काउंसिल 43 के बाद से, यह माना गया है कि यदि निचली विचारण न्यायालय बरी करने का फैसला देती है तो आरोपी के पक्ष में निर्दोष होने की धारणा को बल मिलता है।44 हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने अपीलों पर निर्णय लेने में उक्त सिद्धांतों का पालन नहीं किया है।इसके बिल्कुल विपरीत, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को पुनर्स्थापित करने के लिए अप्रत्यक्ष कारण दर्ज किए गए हैं।निर्दोषता के मजबूत सिद्धांत के सिद्धांत के साथ-साथ निचली विचारण न्यायालय की टिप्पणियों को संक्षेप में दरकिनार कर दिया गया था।इसे विधि के अनुसार नहीं कहा जा सकता है।

33. परिणामस्वरूप, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट-II, कोलार द्वारा पारित 1999 की एस. सी. संख्या 162 में 25 सितंबर 2004 के निर्णय और आदेश द्वारा दिए गए दोषमुक्तियों को बहाल कर दिया गया है।उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और सजा के निर्णय को दरकिनार कर दिया गया है।

34. चूंकि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 भाग 2 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा 4 साल के लिए थी, और समर्पण से छूट के आवेदन को इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए 13 दिसंबर 2010 के आदेश के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी पहले ही उन्हें दी गई सजा काट चुके हैं।

42 तुलसीराम कानू बनाम राज्य आकाशवाणी 1954 एससी 1

43 शीओ स्वरूप बनाम राजा सम्राट ए. आई. आर. 1934 पी. सी. 227 (2) 44 घुरेलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 10 एस. सी. सी. 450 760

/

[2023] 14 एस सी आर।

35. तथापि, यह निर्देश दिया जाता है कि आक्षेपित निर्णय के परिणामस्वरूप प्रत्येक अभियुक्त द्वारा देय राशि उन्हें वापस कर दी जाए।नतीजतन, जमानत बांड, यदि प्रभाव में हैं, तो निर्वहन कर दिया जाएगा।तदनुसार, अपील की अनुज्ञात जाती है।

36. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील अनुज्ञात ।

दिव्या पांडे